महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

संख्या– 2810/आठ–2–2010–74 मा0का0यो0/10

प्रेषक,

मन्जु चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 08 दिसम्बर, 2010

विषय– मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) के भवनों के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता/चिन्हांकन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के समस्त जनपदों में मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। योजना के समयबद्व कियान्वयन हेतु भूमि की उपलब्धता/व्यवस्था समय से सुनिश्चित करने के लिए पहले से चिन्हांकन किया जाना उचित होगा।

2– उल्लेखनीय है कि पूर्व निर्गत निर्देशों के अनुसार योजना के लिए चयनित भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की नही होगी बल्कि इसके लिए नजूल, अर्बन सीलिंग की सरप्लस भूमि, ग्राम सभा की भूमि, नगर निगम सीमान्तर्गत ग्राम समाज की भूमि, नगर निगम की भूमि, स्थानीय निकायों की भूमि, 'राजकीय–आस्थान' एवं अन्य सरकारी विभागों यथा; लोक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग की अनुपयुक्त पड़ी भूमि तथा विकास प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद की भूमि चिन्हित की जायेगी। योजना के लिए चिन्हित भूमि की उपलब्धता शहरी आबादी के आसपास निकटवर्ती क्षेत्र में सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त योजना के उपयोगार्थ भूमि के चयन में एप्रोच रोड की सुलभता एवं बरसाती पानी की निकासी हेतु स्थानीय नाले (Natural course) की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा जाना अपेक्षित है।

3– अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) के उपयोगार्थ आवश्यक भूमि को यथाशीध्र चिन्हित करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मन्जु चन्द्र)
विशेष सचिव।

संख्या–9810 **(1)/आठ–2–10 तददिनांक।**

प्रतिलिपि निदेशक आवास बन्धु, जनपथ लखनऊ को इस आशय से पृष्ठांकित कि कृपया उक्त पत्र को समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को फैक्स के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
उप सचिव

संख्या– 972 / आठ–2–2011– 247सा0 / 08टी0सी0–1

प्रेषक,

रवीन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
3– आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 09 अप्रैल, 2011

विषय– **मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) के कियान्वयन हेतु संशोधित विस्तृत नीति एवं दिशा–निर्देश।**

महोदय,

प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों में रहने वाले निर्धन व्यक्तियों की आवासीय समस्या के निराकरण हेतु उन्हें आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 में प्रदेश के समस्त जनपदों में मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना आरम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत सर्वसमाज के निराश्रित विधवाओं, निराश्रित विकलांगों एवं गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी पात्र नागरिकों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। योजना के प्रथम चरण में 1,01,000 भवनों के लक्ष्य के सापेक्ष 98,936 भवनों का निर्माण किया गया है, जिसमें योजना के लाभार्थी निवास कर रहे हैं। योजना के द्वितीय चरण में 43,725 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में अनुभव की गयी कठिनाईयों के निराकरण के दृष्टिगत योजना के तृतीय चरण में कतिपय संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2– अतः योजना के कियान्वयन हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–4328 / 9–5–08–153सा0 / 08 दिनांक 02, जून, 2008, शासनादेश संख्या–5376 / 9–5–08 –153सा / 08 दिनांक 24 जुलाई, 2008 तथा शासनादेश संख्या–7931 / 9–5–09– 247सा0 / 08 टी.सी. दिनांक 04 दिसम्बर, 2009 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का

12/5/11

निदेश हुआ है कि मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) के कियान्वयन के लिए शासन द्वारा निम्नवत् संशोधित नीति/दिशा–निर्देश निर्धारित किये जा रहे हैं :–

(1) योजना के तृतीय चरण में आवासों की मॉग तथा भूमि की उपलब्धता के दृष्टिगत अनुमानित मॉग 50,000 निर्धारित की गयी है।

(2) योजना के तृतीय चरण में निर्मित होने वाले भवनों व सुविधाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु भवनों की विशिष्टियों व अवस्थापना सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तृतीय चरण में प्रति भवन लागत रू0 2.70 लाख निर्धारित की गयी है। इसमें स्थल के आन्तरिक विकास कार्यों की लागत भी सम्मिलित है।

(3) तृतीय चरण के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु पूर्व निर्धारित पात्रता के कम में नगरीय सीमा में रहने वाले बी0पी0एल0 कार्डधारक, अन्त्योदय कार्डधारक, वृद्धावस्था/विकलांग/विधवा पेन्शनधारकों के साथ–साथ उ0प्र0 मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के चिन्हित लाभार्थी भी पात्र होंगे।

(4) योजना के लिए चयनित भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की नही होगी, बल्कि इसके लिए नजूल, अर्बन सीलिंग की सरप्लस भूमि, ग्राम समाज की भूमि, नगर निगम की भूमि, स्थानीय निकायों की भूमि, राजकीय–आस्थान एवं अन्य सरकारी विभागों यथा–लोक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग की अनुपयुक्त पड़ी भूमि तथा विकास प्राधिकरणों/आवास एवं विकास परिषद की भूमि का उपयोग किया जायेगा। योजना हेतु चिन्हित की जाने वाली सभी प्रकार की भूमि संबंधित संस्था/विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी तथा तद्नुसार अपने अभिलेखों में भी दर्ज किया जायेगा। योजना हेतु भूमि का चयन निर्धारित समयान्तर्गत एवं उपयुक्त स्थान (लोकेशन) पर किया जायेगा।

(5) समस्त जिलाधिकारियों द्वारा उपर्युक्तानुसार लाभार्थियों तथा उपयुक्त भूमि का चयन किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत लाभार्थी/आवेदक की पात्रता पर विचार करते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पूर्व से कोई पक्का आवासीय भवन उपलब्ध नहीं है।

(6) योजनान्तर्गत विकलांग श्रेणी के लाभार्थी चयन करते समय 80 प्रतिशत विकलांगकता प्रमाणपत्र धारक व्यक्ति को शीर्ष प्राथमिकता दी जाय। ऐसे आवेदक/लाभार्थी उपलब्ध न होने पर अवरोही कम में न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता के लाभार्थियों की पात्रता पर ही विचार किया जायेगा।

(7) योजना के तृतीय चरण के अन्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं द्वारा नगर निगम क्षेत्र में भूतल +3 मंजिल, नगर पालिका क्षेत्र में भूतल +2 मंजिल तथा टाउन एरिया/नगर पंचायत क्षेत्र में भूतल +1 मंजिल भवनों का निर्माण किया जायेगा।

(8) कार्यदायी संस्थाओं द्वारा योजनान्तर्गत निर्मित भवनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक ब्लाक की ममटी में डोर शटर, 90 से. मी., पैरापिट वाल, रूफ ट्रीटमेन्ट, प्रत्येक भवन हेतु अलग–अलग पी.वी.सी. रूफ वाटर टैंक, 05 नग डोर शटर्स, भूकम्परोधी–दीमकरोधी ट्रीटमेन्ट, आन्तरिक विद्युतीकरण (स्टेयर केस की लैण्डिग के नीचे जंक्शन बाक्स सहित) का प्राविधान किया जायेगा तथा किचन/ट्वायलेट के वेस्ट वाटर को सीवर लाईन से अलग रखा जायेगा।

(9) योजना के तृतीय चरण के अन्तर्गत सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग/नगर विकास विभाग (जल निगम)/ऊर्जा विभाग द्वारा वाह्य विकास कार्यों यथा–रोड़ कनेक्टिविटी, ओवरहेड टैंक, ट्यूवबेल बोरिंग, पम्प हाउस का निर्माण, वाटर मेन्स पाइप लाइन्स एवं विद्युत सबस्टेशन का निर्माण/ट्रांसफार्मर की स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। आवासीय परिसर के लिए अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर एवं विशेष परिस्थितियों में निर्माण/आन्तरिक विकास पर मानक लागत के ऊपर व्यय होने वाली धनराशि की व्यवस्था नगरीय निकाय के साथ–साथ विकास प्राधिकरणों तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को प्राप्त होने वाली स्टाम्प ड्यूटी की 2 प्रतिशत की धनराशि से की जायेगी। जहॉ इन श्रोतों से भी धनराशि उपलब्ध नहीं होती है वहॉ योजना के बजट से धनराशि दी जायेगी।

(10) योजनान्तर्गत समस्त जनपदों में बेसिक शिक्षा विभाग तथा खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा लाभार्थियों के लिए आवश्यकतानुसार कमशः प्राथमिक स्कूल एवं

उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना अपने विभागीय बजट से करायी जायेगी। तथा इस हेतु संबंधित जिलाधिकारी द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा आवासीय परिसर में उचित दर की आवश्यक दुकानो का निर्माण जिला योजना अथवा जनपद स्तर के अन्य वित्तीय स्रोतों से धनराशि की व्यवस्था करके कराया जायेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/परिवार कल्याण विभाग के अधीन संचालित स्वास्थ्य सेवायें विभाग के मानको के अनुसार उपलब्ध करायी जायेंगी।

(11) प्रश्नगत योजना के समस्त चरणों के अन्तर्गत निर्मित आवासीय परिसर का रख–रखाव संबंधित स्थानीय नगर निकाय द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जिन स्थानों/जनपदों में नगर निकाय सीमा के बाहर योजनान्तर्गत भवन निर्मित किये गये हैं वहॉ निकटतम नगर निकाय द्वारा ही रख–रखाव संबधी कार्यवाही की जायेगी।

(12) योजना के अन्तर्गत समस्त चरणों में निर्मित भवनों/ब्लाकों के आन्तरिक रखरखाव हेतु जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा स्थानीय आवंटियों की एक ब्लाकवार अनुरक्षण समिति गठित कराने की कार्यवाही की जायेगी।

(13) योजनान्तर्गत आवंटित भवन का प्रयोग मूल लाभार्थी/आवंटी द्वारा न किये जाने अथवा उक्त भवन को मूल आवंटी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को "सबलेट" किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा सम्यक जॉचोपरान्त आवंटन निरस्तीकरण/भवन खाली कराने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(14) मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के वित्तपोषण हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा हुडको से ऋण प्राप्त किया जायेगा, जिसकी प्रतिपूर्ति शासन द्वारा बजट के माध्यम से की जायेगी।

(15) मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (प्रथम चरण) में निर्मित आवासों/पाकेट्स में आवश्यकतानुसार ओवरहेड टैंक के निर्माण हेतु पूर्वान्चल विकास निधि एवं बुन्देलखण्ड विकास निधि से आच्छादित जनपदों में आवश्यक धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त निधियों में उपलब्ध बजट से जल

निगम को उपलब्ध करायी जायेगी। शेष अन्य जनपदों में ओवरहेड टैंक के निर्माण के लिए धनराशि की व्यवस्था नगर विकास विभाग द्वारा नगरीय जलापूर्ति व्यवस्था योजना की मद से की जायेगी।

(16) योजना के द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण में ओवरहेड टैंक के निर्माण हेतु धनराशि की व्यवस्था नगर विकास विभाग द्वारा नगरीय जलापूर्ति व्यवस्था योजना के मद से की जायेगी तथा इस हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में बजट व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,

(रवीन्द्र सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या– 972 (1)/आठ–2–2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– प्रमुख स्टाफ आफिसर, मंत्रि मण्डलीय सचिव, उ0प्र0 शासन।

2– समस्त प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

3– प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

4– **प्रमुख सचिव/सचिव,** लोक निर्माण/ऊर्जा/बेसिक शिक्षा/समाज कल्याण/नगर विकास/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/ परिवार कल्याण/पिछडा वर्ग कल्याण/खाद्य एवं रसद/नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन/लघु उद्योग/महिला एवं बाल विकास विभाग/खादी ग्रामोद्योग/दुग्ध विकास/अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

5– प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन।

6– निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।

7– समस्त संबंधित प्रशासनिक विभागों के विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

8– निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) लखनऊ।

9– विशेष कार्याधिकारी, सूचना, मुख्यमंत्री जी (श्री जमील अख्तर)

10– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

12– समस्त परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।

13– समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0 (द्वारा जिलाधिकारी)

14– निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट लखनऊ।

15– आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

16– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

17– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मन्जु चन्द्र)
विशेष सचिव

संख्या– 972 / आठ–2–2011– 247सा0 / 08टी0सी0–1

प्रेषक,

रवीन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
3– आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 09 अप्रैल, 2011

विषय– मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) के कियान्वयन हेतु संशोधित विस्तृत नीति एवं दिशा–निर्देश।

महोदय,

प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों में रहने वाले निर्धन व्यक्तियों की आवासीय समस्या के निराकरण हेतु उन्हें आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 में प्रदेश के समस्त जनपदों में मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना आरम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत सर्वसमाज के निराश्रित विधवाओं, निराश्रित विकलांगों एवं गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी पात्र नागरिकों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। योजना के प्रथम चरण में 1,01,000 भवनों के लक्ष्य के सापेक्ष 98,936 भवनों का निर्माण किया गया है, जिसमें योजना के लाभार्थी निवास कर रहे हैं। योजना के द्वितीय चरण में 43,725 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में अनुभव की गयी कठिनाईयों के निराकरण के दृष्टिगत योजना के तृतीय चरण में कतिपय संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2– अतः योजना के कियान्वयन हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–4328 / 9–5–08–153सा0 / 08 दिनांक 02, जून, 2008, शासनादेश संख्या–5376 / 9–5–08 –153सा / 08 दिनांक 24 जुलाई, 2008 तथा शासनादेश संख्या–7931 / 9–5–09– 247सा0 / 08 टी.सी. दिनांक 04 दिसम्बर, 2009 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का

निदेश हुआ है कि मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) के कियान्वयन के लिए शासन द्वारा निम्नवत् संशोधित नीति/दिशा–निर्देश निर्धारित किये जा रहे हैं :–

(1) योजना के तृतीय चरण में आवासों की मॉग तथा भूमि की उपलब्धता के दृष्टिगत अनुमानित मॉग 50,000 निर्धारित की गयी है।

(2) योजना के तृतीय चरण में निर्मित होने वाले भवनों व सुविधाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु भवनों की विशिष्टियों व अवस्थापना सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तृतीय चरण में प्रति भवन लागत रू0 2.70 लाख निर्धारित की गयी है। इसमें स्थल के आन्तरिक विकास कार्यों की लागत भी सम्मिलित है।

(3) तृतीय चरण के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु पूर्व निर्धारित पात्रता के क्रम में नगरीय सीमा में रहने वाले बी0पी0एल0 कार्डधारक, अन्त्योदय कार्डधारक, वृद्धावस्था/विकलांग/विधवा पेन्शनधारकों के साथ–साथ उ0प्र0 मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के चिन्हित लाभार्थी भी पात्र होंगे।

(4) योजना के लिए चयनित भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की नही होगी, बल्कि इसके लिए नजूल, अर्बन सीलिंग की सरप्लस भूमि, ग्राम समाज की भूमि, नगर निगम की भूमि, स्थानीय निकायों की भूमि, राजकीय–आस्थान एवं अन्य सरकारी विभागों यथा–लोक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग की अनुपयुक्त पड़ी भूमि तथा विकास प्राधिकरणों/आवास एवं विकास परिषद की भूमि का उपयोग किया जायेगा। योजना हेतु चिन्हित की जाने वाली सभी प्रकार की भूमि संबंधित संस्था/विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी तथा तद्नुसार अपने अभिलेखों में भी दर्ज किया जायेगा। योजना हेतु भूमि का चयन निर्धारित समयान्तर्गत एवं उपयुक्त स्थान (लोकेशन) पर किया जायेगा।

(5) समस्त जिलाधिकारियों द्वारा उपर्युक्तानुसार लाभार्थियों तथा उपयुक्त भूमि का चयन किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत लाभार्थी/आवेदक की पात्रता पर विचार करते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पूर्व से कोई पक्का आवासीय भवन उपलब्ध नहीं है।

(6) योजनान्तर्गत विकलांग श्रेणी के लाभार्थी चयन करते समय 80 प्रतिशत विकलांगकता प्रमाणपत्र धारक व्यक्ति को शीर्ष प्राथमिकता दी जाय। ऐसे आवेदक/लाभार्थी उपलब्ध न होने पर अवरोही कम में न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता के लाभार्थियों की पात्रता पर ही विचार किया जायेगा।

(7) योजना के तृतीय चरण के अन्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं द्वारा नगर निगम क्षेत्र में भूतल +3 मंजिल, नगर पालिका क्षेत्र में भूतल +2 मंजिल तथा टाउन एरिया/नगर पंचायत क्षेत्र में भूतल +1 मंजिल भवनों का निर्माण किया जायेगा।

(8) कार्यदायी संस्थाओं द्वारा योजनान्तर्गत निर्मित भवनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक ब्लाक की ममटी में डोर शटर, 90 से. मी., पैरापिट वाल, रूफ ट्रीटमेन्ट, प्रत्येक भवन हेतु अलग–अलग पी.वी.सी. रूफ वाटर टैंक, 05 नग डोर शटर्स, भूकम्परोधी–दीमकरोधी ट्रीटमेन्ट, आन्तरिक विद्युतीकरण (स्टेयर केस की लैण्डिग के नीचे जंक्शन बाक्स सहित) का प्राविधान किया जायेगा तथा किचन/ट्वायलेट के वेस्ट वाटर को सीवर लाईन से अलग रखा जायेगा।

(9) योजना के तृतीय चरण के अन्तर्गत सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग/नगर विकास विभाग (जल निगम)/ऊर्जा विभाग द्वारा वाह्य विकास कार्यों यथा–रोड़ कनेक्टिविटी, ओवरहेड टैंक, ट्यूवबेल बोरिंग, पम्प हाउस का निर्माण, वाटर मेन्स पाइप लाइन्स एवं विद्युत सबस्टेशन का निर्माण/ट्रांसफार्मर की स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। आवासीय परिसर के लिए अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर एवं विशेष परिस्थितियों में निर्माण/आन्तरिक विकास पर मानक लागत के ऊपर व्यय होने वाली धनराशि की व्यवस्था नगरीय निकाय के साथ–साथ विकास प्राधिकरणों तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को प्राप्त होने वाली स्टाम्प ड्यूटी की 2 प्रतिशत की धनराशि से की जायेगी। जहॉ इन श्रोतों से भी धनराशि उपलब्ध नहीं होती है वहॉ योजना के बजट से धनराशि दी जायेगी।

(10) योजनान्तर्गत समस्त जनपदों में बेसिक शिक्षा विभाग तथा खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा लाभार्थियों के लिए आवश्यकतानुसार कमशः प्राथमिक स्कूल एवं

उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना अपने विभागीय बजट से करायी जायेगी। तथा इस हेतु संबंधित जिलाधिकारी द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा आवासीय परिसर में उचित दर की आवश्यक दुकानो का निर्माण जिला योजना अथवा जनपद स्तर के अन्य वित्तीय स्रोतों से धनराशि की व्यवस्था करके कराया जायेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/परिवार कल्याण विभाग के अधीन संचालित स्वास्थ्य सेवायें विभाग के मानको के अनुसार उपलब्ध करायी जायेंगी।

(11) प्रश्नगत योजना के समस्त चरणों के अन्तर्गत निर्मित आवासीय परिसर का रख–रखाव संबंधित स्थानीय नगर निकाय द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जिन स्थानों/जनपदों में नगर निकाय सीमा के बाहर योजनान्तर्गत भवन निर्मित किये गये हैं वहॉ निकटतम नगर निकाय द्वारा ही रख–रखाव संबधी कार्यवाही की जायेगी।

(12) योजना के अन्तर्गत समस्त चरणों में निर्मित भवनों/ब्लाकों के आन्तरिक रखरखाव हेतु जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा स्थानीय आवंटियों की एक ब्लाकवार अनुरक्षण समिति गठित कराने की कार्यवाही की जायेगी।

(13) योजनान्तर्गत आवंटित भवन का प्रयोग मूल लाभार्थी/आवंटी द्वारा न किये जाने अथवा उक्त भवन को मूल आवंटी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को "सबलेट" किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा सम्यक जॉचोपरान्त आवंटन निरस्तीकरण/भवन खाली कराने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(14) मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के वित्तपोषण हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा हुडको से ऋण प्राप्त किया जायेगा, जिसकी प्रतिपूर्ति शासन द्वारा बजट के माध्यम से की जायेगी।

(15) मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (प्रथम चरण) में निर्मित आवासों/पाकेट्स में आवश्यकतानुसार ओवरहेड टैंक के निर्माण हेतु पूर्वान्चल विकास निधि एवं बुन्देलखण्ड विकास निधि से आच्छादित जनपदों में आवश्यक धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त निधियों में उपलब्ध बजट से जल

निगम को उपलब्ध करायी जायेगी। शेष अन्य जनपदों में ओवरहेड टैंक के निर्माण के लिए धनराशि की व्यवस्था नगर विकास विभाग द्वारा नगरीय जलापूर्ति व्यवस्था योजना की मद से की जायेगी।

(16) योजना के द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण में ओवरहेड टैंक के निर्माण हेतु धनराशि की व्यवस्था नगर विकास विभाग द्वारा नगरीय जलापूर्ति व्यवस्था योजना के मद से की जायेगी तथा इस हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में बजट व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,

(रवीन्द्र सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या– 972 (1)/आठ–2–2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– प्रमुख स्टाफ आफिसर, मंत्रि मण्डलीय सचिव, उ0प्र0 शासन।

2– समस्त प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

3– प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

4– **प्रमुख सचिव/सचिव**, लोक निर्माण/ऊर्जा/बेसिक शिक्षा/समाज कल्याण/नगर विकास/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/ परिवार कल्याण/पिछडा वर्ग कल्याण/खाद्य एवं रसद/नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन/लघु उद्योग/महिला एवं बाल विकास विभाग/खादी ग्रामोद्योग/दुग्ध विकास/अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

5– प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन।

6– निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।

7– समस्त संबंधित प्रशासनिक विभागों के विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

8– निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) लखनऊ।

9– विशेष कार्याधिकारी, सूचना, मुख्यमंत्री जी (श्री जमील अख्तर)

10— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

12— समस्त परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।

13— समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0 (द्वारा जिलाधिकारी)

14— निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट लखनऊ।

15— आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

16— महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

17— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मन्जु चन्द्र)
विशेष सचिव

संख्या– 1017 /आठ–2–2011–75 मा0का0यो0/10

प्रेषक,

आलोक कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश ।
2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।
3– आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ ।
4– उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश ।
5– समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम,
उत्तर प्रदेश ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक– 15 अप्रैल, 2011

विषय– मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) के कियान्वयन हेतु जनपदवार लक्ष्य का निर्धारण ।

महोदय,

शासनादेश संख्या–972/आठ–2–2011–247सा./08टी.सी0–1 दिनांक 09–04–2011 द्वारा मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) के कियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसमें तृतीय चरण के लिए अनुमानित लक्ष्य 50 हजार भवनों का उल्लेख किया गया है ।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजना के तृतीय चरण हेतु संलग्न सूची के अनुसार जनपदवार लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये हैं। कृपया आवंटित लक्ष्य के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

आलोक

(आलोक कुमार)
सचिव।

संख्या– 1017 (1)/आठ–2–2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– प्रमुख स्टाफ आफिसर, मंत्रि मण्डलीय सचिव, उ0प्र0 शासन।
2– समस्त प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4– **प्रमुख सचिव/सचिव**, लोक निर्माण/ऊर्जा/बेसिक शिक्षा/समाज कल्याण/ नगर विकास/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/ परिवार कल्याण/पिछडा वर्ग कल्याण/ खाद्य एवं रसद/नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन/लघु उद्योग/महिला एवं बाल विकास विभाग खादी ग्रामोद्योग/दुग्ध विकास/ अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/ सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन।
6– निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
7– निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) लखनऊ।
8– विशेष कार्याधिकारी, सूचना, मुख्यमंत्री जी (श्री जमील अख्तर)
9– निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट लखनऊ।
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच0पी0सिंह)
उप सचिव

मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) हेतु जनपदवार भवन निर्माण के लक्ष्यः–

क्र0स0	जनपद का नाम	निर्धारित लक्ष्य
1	सन्त रविदास नगर	500
2	मऊ	960
3	गोरखपुर	1500
4	छत्रपति शाहूजी महराज नगर	650
5	आजमगढ	700
6	अलीगढ	800
7	गोण्डा	325
8	एटा	शून्य
9	उन्नाव	260
10	सहारनपुर	900
11	फैजाबाद	112
12	कन्नौज	300
13	प्रतापगढ	शून्य
14	मुरादाबाद	1608
15	मेरठ	1500
16	सुल्तानपुर	624
17	बदायूँ	372
18	जौनपुर	840
19	सोनभद्र	150
20	कौशाम्बी	150
21	वाराणसी	शून्य
22	मथुरा	1500
23	बरेली	1008
24	गाजीपुर	500
25	रामपुर	800
26	शाहजहॉपुर	536
27	फर्रूखाबाद	710
28	बॉदा	1104
29	इटावा	300
30	मुजफ्फरनगर	596
31	पीलीभीत	300
32	रायबरेली	500
33	कुशीनगर	600
34	महराजगंज	700
35	अम्बेडकर नगर	शून्य
36	आगरा	शून्य
37	इलाहाबाद	1000
38	औरैया	492
39	कानपुर नगर	2000
40	काशीराम नगर	शून्य

41	लखीमपुर खीरी	852
42	गाजियाबाद	1000
43	गौतमबुद्ध नगर	500
44	चन्दौली	500
45	चित्रकूट	500
46	जे0पी0नगर	600
47	जालौन	500
48	झॉसी	800
49	देवरिया	600
50	फतेहपुर	700
51	फिरोजाबाद	800
52	बलरामपुर	शून्य
53	बुलन्दशहर	500
54	बलिया	500
55	बस्ती	360
56	बहराइच	शून्य
57	बागपत	600
58	बाराबंकी	1000
59	बिजनौर	600
60	मैनपुरी	304
61	महामायानगर	1000
62	महोबा	480
63	मिर्जापुर	1000
64	रमाबाई नगर (कानपुर देहात)	500
65	लखनऊ	2500
66	ललितपुर	492
67	श्रावस्ती	शून्य
68	संत कबीर नगर	500
69	सिद्वार्थनगर	500
70	सीतापुर	776
71	हमीरपुर	500
72	हरदोई	600
	योग	**44,961**

आलोक

(आलोक कुमार)

सचिव

संख्या– 413 /26–ब0प्र0–2011–09 सा/09

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
संत रविदास नगर, मऊ, गोरखपुर, छत्रपति शाहूजी महाराज नगर (अमेठी), आजमगढ, अलीगढ, गोण्डा, उन्नाव, सहारनपुर, फैजाबाद, कन्नौज, मुरादाबाद, मेरठ, सुल्तानपुर, बदायूँ, जौनपुर, सोनभद्र, कौशाम्बी, मथुरा, बरेली, गाजीपुर, रामपुर, शाहजहॉपुर, फर्रूखाबाद, बॉदा, इटावा, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रायबरेली, कुशीनगर, महाराजगंज, इलाहाबाद, औरैया, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, गौतमबुद्व नगर, चन्दौली, चित्रकूट, जे0पी0नगर, जालौन, झॉसी, देवरिया, फतेहपुर, फिरोजाबाद, बुलन्दशहर, बलिया, बस्ती, बाराबंकी, बिजनौर, मैनपुरी, महामाया नगर, महोबा, मिर्जापुर, लखनऊ, ललितपुर, संत कबीर नगर, सिद्वार्थ नगर, सीतापुर, हमीरपुर, हरदोई, उत्तर प्रदेश।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग लखनऊ : दिनांक– 25 अप्रैल, 2011

विषय–मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) के भवनों के निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2011–2012 में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) के भवनों के निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2011–2012 के आय–व्ययक में बजट प्राविधानित धनराशि में से रू0 1,40,00,00,000/– (रूपये एक अरब चालीस करोड़ मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार जनपदों को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं :–

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को एकमुश्त उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।उक्त धनराशि का प्रत्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(3) योजनान्तर्गत निर्मित किये जाने वाले आवासों की प्रति आवास अधिकतम लागत रू0 2,70,000/– (रूपया दो लाख सत्तर हजार मात्र) रखी गयी है, इसमें स्थल के आन्तरिक विकास कार्यों की लागत

भी सम्मिलित है। योजना के समयबद्ध होने के कारण किसी प्रकार की मूल्यवृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग कार्यदायी संस्थाओं (उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा संबंधित विकास प्राधिकरण) द्वारा दिनांक–31 मार्च, 2012 तक करके उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशो के अनुरूप किया जायेगा।

(6) शासनादेश संख्या–5376/नौ–5–2008–153 सा0/2008, दिनांक–24 जुलाई, 2008 तथा शासनादेश संख्या–7931/नौ–5–2009–153 सा0/2008टी.सी., दिनांक–04–12–2009 द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) योजनान्तर्गत निर्मित किये जाने वाले भवनों की सामग्री एवं निर्माण की गुणवत्ता सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी तथा तृतीय चरण के सम्बन्ध मे शासनादेश संख्या–972/आठ–2–2011–247 सा0/08 टी.सी.1, दिनांक–09–4–2011 में जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) रू0 1,40,00,00,000/– करोड़ का उपयोग केवल अनुसूचित जाति/जनजाति को आवंटित किये जाने वाले आवासों हेतु किया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–2012 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत **'लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय (आयोजनागत) 60–अन्य शहरी विकास योजनायें, 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 03–मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना–35–पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान''** के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–ई–3–832/ दस–2011 दिनांक 20 अप्रैल, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव ।

संख्या– 413 (1)/आठ–2–2011, तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– प्रमुख स्टाफ आफीसर, मंत्रिमण्डलीय सचिव, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/समाज कल्याण/नगर विकास/लोक निर्माण/खाद्य एवं रसद/बेसिक शिक्षा/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/परिवार कल्याण/ऊर्जा/सूचना/कार्यक्रम कियान्वयन/औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5– समस्त प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
6– **उपाध्यक्ष**, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
7– **कोषाधिकारी**, जनपद– संत रविदास नगर, मऊ, गोरखपुर, छत्रपति शाहूजी महाराज नगर (अमेठी), आजमगढ, अलीगढ, गोण्डा, उन्नाव, सहारनपुर, फैजाबाद, कन्नौज, मुरादाबाद, मेरठ, सुल्तानपुर, बदायूँ, जौनपुर, सोनभद्र, कौशाम्बी, मथुरा, बरेली, गाज़ीपुर, रामपुर, शाहजहॉपुर, फर्रूखाबाद, बॉदा, इटावा, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रायबरेली, कुशीनगर, महाराजगंज, इलाहाबाद, औरैया, कानपुर नगर,लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, गौतमबुद्व नगर, चन्दौली, चित्रकूट, जे0पी0नगर, जालौन, झॉसी, देवरिया, फतेहपुर, फिरोजाबाद, बुलन्दशहर, बलिया, बस्ती, बाराबंकी, बिजनौर, मैनपुरी, महामाया नगर, महोबा, मिर्जापुर, लखनऊ, ललितपुर, संत कबीर नगर, सिद्वार्थ नगर, सीतापुर, हमीरपुर, हरदोई, उत्तर प्रदेश।
8– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
9– आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
10– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
11– निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
12– निदेशक, राज्य नगरीय अभिकरण (सूडा) उ0प्र0, लखनऊ।
13– मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 लखनऊ (मो0 जमील अख्तर)।
14– निदेशक, आवास बन्धु।
15– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2/वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2.
16– नियोजन अनुभाग–3/4./एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
17– आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2
18– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या–413/26–ब0प्र0–2011–09सा0/2009 दिनांक 25 अप्रैल, 2011 का संलग्नक।

(धनराशि रूपया करोड़ में)

क्र0स0	जनपद का नाम	जनपद का भौतिक लक्ष्य (आवासों की संख्या)	कुल लागत (रू0 2.70 लाख प्रति भवन की दर से)	आवंटित धनराशि
1	सन्त रविदास नगर	500	13.50	2.00
2	मऊ	960	25.92	3.00
3	गोरखपुर	1500	40.50	4.50
4	छत्रपति शाहूजी महराज नगर	650	17.55	4.50
5	आजमगढ	700	18.90	3.00
6	अलीगढ	800	21.60	3.50
7	गोण्डा	325	8.775	1.00
8	एटा	शून्य	शून्य	**शून्य**
9	उन्नाव	260	7.02	1.00
10	सहारनपुर	900	24.30	3.00
11	फैजाबाद	112	3.024	1.00
12	कन्नौज	300	8.10	1.00
13	प्रतापगढ	शून्य	शून्य	**शून्य**
14	मुरादाबाद	1608	43.416	5.00
15	मेरठ	1500	40.50	5.00
16	सुल्तानपुर	624	16.848	2.00
17	बदायूँ	372	10.044	1.50
18	जौनपुर	840	22.68	3.00
19	सोनभद्र	150	4.05	1.00
20	कौशाम्बी	150	4.05	1.00
21	वाराणसी	शून्य	शून्य	**शून्य**
22	मथुरा	1500	40.45	5.00
23	बरेली	1008	27.216	4.00
24	गाजीपुर	500	13.50	2.00
25	रामपुर	800	21.60	3.00
26	शाहजहॉपुर	536	14.472	2.00
27	फर्रूखाबाद	710	19.17	3.00
28	बॉदा	1104	29.808	3.00
29	इटावा	300	8.10	1.00
30	मुजफ्फरनगर	596	16.092	2.00
31	पीलीभीत	300	8.10	1.00
32	रायबरेली	500	13.50	2.00
33	कुशीनगर	600	16.20	2.50
34	महराजगंज	700	18.90	2.00
35	अम्बेडकर नगर	शून्य	शून्य	**शून्य**
36	आगरा	शून्य	शून्य	**शून्य**
37	इलाहाबाद	1000	27.00	5.00

38	औरैया	492	13.284	1.00
39	कानपुर नगर	2000	54.00	5.00
40	काशीराम नगर	शून्य	शून्य	**शून्य**
41	लखीमपुर खीरी	852	23.004	2.00
42	गाजियाबाद	1000	27.00	3.00
43	गौतमबुद्व नगर	500	13.50	1.50
44	चन्दौली	500	13.50	1.50
45	चित्रकूट	500	13.50	1.50
46	जे0पी0नगर	600	16.20	2.00
47	जालौन	500	13.50	1.50
48	झॉसी	800	21.60	1.50
49	देवरिया	600	16.20	2.00
50	फतेहपुर	700	18.90	2.00
51	फिरोजाबाद	800	21.60	2.00
52	बलरामपुर	शून्य	शून्य	**शून्य**
53	बुलन्दशहर	500	13.50	1.50
54	बलिया	500	13.50	1.50
55	बस्ती	360	9.72	1.00
56	बहराइच	शून्य	शून्य	**शून्य**
57	बागपत	600	16.20	**शून्य**
58	बाराबंकी	1000	27.00	3.00
59	बिजनौर	600	16.20	1.50
60	मैनपुरी	304	8.208	1.00
61	महामायानगर	1000	27.00	2.50
62	महोबा	480	12.96	1.50
63	मिर्जापुर	1000	27.00	2.50
64	रमाबाई नगर (कानपुर देहात)	500	13.50	**शून्य**
65	लखनऊ	2500	67.50	5.00
66	ललितपुर	492	13.284	1.50
67	श्रावस्ती	शून्य	शून्य	**शून्य**
68	संत कबीर नगर	500	13.50	**शून्य**
69	सिद्वार्थनगर	500	13.50	1.00
70	सीतापुर	776	20.952	3.00
71	हमीरपुर	500	13.50	1.50
72	हरदोई	600	16.20	2.00
	योग	**44,961**	**1213.947**	**140.00**

(आवंटित धनराशि रूपये एक अरब चालीस करोड़ मात्र)

(उमा शंकर सिंह)
अनुसचिव

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
(U.P. HOUSING & DEVELOPMENT BOARD)
104,महात्मा गांधी मार्ग,लखनऊ–226001

संख्याः 2060 /एम–51/तृतीय चरण दिनांक 04.05.2011

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता/निदेशक
वृत्त–प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/सप्तम/वृन्दावन/ग्लोबल सेल
उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ/मेरठ/कानपुर/मुरादाबाद/आगरा/गाजियाबाद।

विषय–**मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सम्बन्ध में आप अवगत हैं कि प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0 प्र0 शासन, के शासनादेश संख्या–972/आठ–2–2011–247सा0/08टी.सी.–1 दिनांक 09.04.2011 के माध्यम से मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत तृतीय चरण के कियान्वयन हेतु संशोधित विस्तृत नीति एवं दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये हैं। उक्त शासनादेश के निम्न बिन्दु मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैंः–

अ– योजना के तृतीय चरण में निर्मित होने वाले भवनों व सुविधाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु भवनों की विशिष्टियों व अवस्थापना सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तृतीय चरण में प्रति भवन लागत रु0 2.70 लाख निर्धारित की गयी है। इसमें स्थल के आन्तरिक विकास कार्यो की लागत भी सम्मिलित है।

ब– कार्यदायी संस्थाओं द्वारा योजना के तृतीय चरण के अन्तर्गत नगर–निगम क्षेत्र में **चार–मंजिले(भूतल +3)**, नगरपालिका क्षेत्र में **तीन–मंजिले(भूतल +2)** तथा टाउन एरिया/नगर पंचायत क्षेत्र में **दो–मंजिले(भूतल +1)** भवनों का निर्माण किया जायेगा।

स– कार्यदायी संस्थाओं द्वारा योजनान्तर्गत निर्मित भवनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक ब्लाक की ममटी में डोर–शटर, 90 से0मी0 पैरापिट वाल, रूफ ट्रीटमेन्ट, प्रत्येक भवन हेतु अलग–अलग पी0वी0सी0 रूफ वाटर टैंक, 05 नग डोर शटर्स, भूकम्परोधी–दीमकरोधी ट्रीटमेन्ट, आन्तरिक विद्युतीकरण (स्टेयर केस की लैण्डिंग के नीचे जंक्शन बाक्स सहित) का प्राविधान किया जायेगा तथा किचन/ट्वायलेट के बेस्ट वाटर को सीवर लाईन से अलग रखा जायेगा।

द– इसके अतिरिक्त प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या–1139/आठ–2–2011–3एच0बी0(25)/11टी.सी. दिनांक 16.04.2011 के माध्यम से आवासीय परिसरों के विकास कार्यो के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये हैं जिनके अनुसार योजना के प्रत्येक चरण में परिसरों के विकास कार्य सम्पादित कराये जाने अपेक्षित हैं।

अतः मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत तृतीय चरण के कियान्वयन के सम्बन्ध में निम्नांकित कार्यवाही सुनिश्चित की जानी हैः–

1– जनपदवार लक्ष्यों के अनुसार शासन की नीति में निर्धारित मंजिलों के सापेक्ष ले–आउट का नियोजन कराया जायेगा तथा तद्नुसार ही जिलाधिकारियों से भूमि चिन्हिंत कराके योजना के नाम दर्ज करायी जायेगी।

2– जिलाधिकारियों से भूमि प्राप्त होने पर क्रमांक–1 के अनुसार नियोजन कराके विस्तृत ऑगणन (डी0पी0आर0) के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत कराते हुए निविदायें स्वीकृत कराते हुए कार्यो का सम्पादन कराया जायेगा।

3– योजना के अन्तर्गत भवनों में भूकम्परोधी–दीमकरोधी ट्रीटमेन्ट, 05 नग डोर शटर्स, रूफ ट्रीटमेन्ट, 90 से0मी0 ऊँची पैरापिट वाल, ममटी में डोर–शटर, प्रत्येक भवन हेतु अलग–अलग 200 ली0 क्षमता का पी0वी0सी0 रूफ वाटर टैंक एवं आन्तरिक विद्युतीकरण के समस्त कार्य अनिवार्य रूप से सम्मिलित किये जायेंगे।

4– किचन/बाथरूम के वेस्ट–वाटर को सीवर लाईन से अलग रखते हुए नालियों के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा।

5— खिड़कियों में 4 मिमी0 मोटे शीशे (ग्लास पैन्स) लगाये जायेंगे।

6— योजना में कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से समस्त निर्माण सामग्री निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप प्रयोग की जायेगी तथा आई.एस.आई. मार्क डोर—शटर्स, डोर—फिटिंग्स, विन्डो फ्रेम्स, पी0वी0सी0 टेंक, पाईप्स, आन्तरिक सेवाओं की फिटिंग्स तथा इन्टर लाकिंग टाइल्स उपयोग में लायी जायेगी।

7— उ0 प्र0 शासन द्वारा विभिन्न शासनादेशों में दिये गये दिशा—निर्देशों के अनुसार साइनेज बोर्ड, कलर स्कीम, भवनों में पेय—जलापूर्ति के संयोजन आदि के संदर्भ में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप कार्यो का सम्पादन सुनिश्चित कराया जायेगा।

8— समस्त सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण गुण नियंत्रण मैनुअल के अनुसार सम्पादित करायी जायेगी तथा शासन द्वारा निर्धारित रु0 2.70 लाख प्रति भवन लागत के अन्तर्गत उक्त सभी मदों का समावेश डी0पी0आर0 में अनिवार्य रूप से कराया जायेगा।

9— योजना परिसरों में शासनादेश संख्या—1139/आठ—2—2011—3एच0बी0(25)/11टी.सी. दिनांक 16.04.2011 के बिन्दु—7 के अनुसार दुकानों का नियोजित करायी जायेंगी। दुकानों की लागत शासन द्वारा निर्धारित रु0 2.70 लाख प्रति भवन लागत के अन्तर्गत सम्मिलित नही है तथा इसकी प्रतिपूर्ति शासन के आदेशानुसार होगी।

योजना से सम्बन्धित मुख्य—मुख्य शासनादेशों की प्रतियॉ परिषद की वेब—साइट (www.upavp.com) पर अपलोड की गयी है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि समयबद्धता से मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत तृतीय चरण के क्रियान्वयन हेतु प्रभावी कार्यवाही कराते हुए दैनिक प्रगति आख्या कन्ट्रोल रूम को प्रेषित करना सुनिश्चित करायें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य न होगी।

भवदीय,

ह/0
(एम0वी0एस0रामीरेड्डी)
आवास आयुक्त

पृ0सं0 2060 /एम—51/तृतीय चरण दिनांक 04.05.2011

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।

2— सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारीगण।

3— निदेशक, आवास बन्धु, प्रथम तल, जनपथ मार्केट, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।

4— मुख्य अभियन्ता/मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

ह/0
आवास आयुक्त

महत्वपूर्ण

संख्या– 1270 /आठ–2–11–64 मा0का0यो0 / 10

प्रेषक,

आलोक कुमार
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आवास आयुक्त
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊ:: दिनांक 13 मई, 2011

विषय– मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–5235 / एम–51 / तृतीय चरण / दिनांक 20–12–2010 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के तृतीय चरण के भवनों हेतु अनुमानित लागत का आगणन शासन को उपलब्ध कराया गया था। उक्त आगणन का परीक्षण प्रायोजना, रचना एवं मूल्याकंन प्रभाग द्वारा करने के उपरान्त प्रति भवन लागत रू0 2.70 लाख आकलित की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या 972 / आठ–2–2011–247सा0 / 08 टी0सी0–1 दिनांक 09–04–2011 द्वारा योजना के तृतीय चरण के कियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं तथा शासनादेश दिनांक 15.04.2011 द्वारा तृतीय चरण के जनपदवार लक्ष्य भी निर्धारित कर दिये गये है। समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या–413 / 26–ब.प्र.–2011–09–सा. / 09, दिनांक 25.04.2011 द्वारा जनपदों को रू. 140.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है।

3– प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत ड्राइंग / डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदित होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्थाओं का होगा।

4– इस सम्बन्ध में अनुमोदित मानक आगणन की मूलप्रति (वापसी अपेक्षित) संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया उक्त आगणन की सत्यापित छायाप्रति समस्त जिलाधिकारियों एवं समस्त विकास प्राधिकरणों को तत्काल उपलब्ध करा दी जाये। इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया योजना के तृतीय चरण के भवनों का निर्माण कार्य अनुमोदित आगणन की विशिष्टियों के अनुसार तत्काल आरम्भ कर दिये जाये तथा प्रगति से शासन को अवगत कराया जाये।

संलग्नक–यथोक्त(मूल प्रति)

भवदीय

(आलोक कुमार)
सचिव

संख्या– /आठ–2–11, तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2– निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट, लखनऊ।

आज्ञा से,

(एच0पी0सिंह)
उप सचिव

(1) **शीर्ष प्राथमिकता/महत्वपूर्ण**
संख्या– 1527/आठ–2–11–01मा.का.यो./11

प्रेषक,

आलोक कुमार
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– **आवास आयुक्त**, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2– **उपाध्यक्ष**, विकास प्राधिकरण,
लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, इलाहाबाद।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 03 जून, 2011

विषयः मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष भवनों के निर्माण के वित्त पोषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) के कियान्वयन हेतु जनपदवार लक्ष्य का निर्धारण पूर्व में निर्गमित शासनादेश सं0–1071/आठ–2–2011–75मा0का0यो0/10 दिनांक 15.04.2011 द्वारा किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में उच्च स्तरीय–निर्णय के अनुक्रम में प्रति भवन लागत रू0 2.70 लाख के सापेक्ष जनपदवार कुल भवनों की निर्माण लागत की 50 प्रतिशत धनराशि शासन द्वारा अनुदान के रूप में कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी जायेगी तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि हेतु **'हुडको'** से दुर्बल आय वर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम दर पर ऋण लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में निम्नवत कार्यवाही प्राथमिकता पर किया जाना अपेक्षित है :–

(1) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा परिषद के लिए निर्धारित भवनों हेतु Applciations (आवेदन पत्र) **'हुडको'** को प्रस्तुत करने के लिए तत्काल आवेदन पत्र तैयार कर लिये जाये।

(2) समस्त विकास प्राधिकरणों हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 04 ग्रुपों में Applciation (आवेदन पत्र) प्रस्तुत किये जायेगें, जो कि क्रमशः लखनऊ वि0प्रा0, कानपुर वि0प्रा0, गाजियाबाद वि0प्रा0 तथा इलाहाबाद वि0प्रा0 द्वारा आवेदन पत्र **'हुडको'** को प्रस्तुत किये जायेंगे। अतः तत्काल आवेदन पत्र तैयार कर लिये जाये। उक्त नोडल प्राधिकरणों के ग्रुप में सम्मिलित विकास प्राधिकरणों की सूची व उनके लक्ष्य संलग्न हैं। **हुडको** से मात्र ऋण प्राप्त करने हेतु उक्त विकास प्राधिकरण अपने ग्रुप के विकास प्राधिकरणों की नोड्ल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगें।

(3) हुडको से ऋण प्राप्त करने के लिए शासन द्वारा यथासमय 'शासकीय गॉरन्टी' उपलब्ध कराने व ऋण के प्रतिदान हेतु शासन द्वारा बजट व्यवस्था करने पर विचार किया जा रहा है।

(4) **'हुडको'** से ऋण प्राप्त करने हेतु समयबद्ध रूप से आवेदन पत्र तैयार कराने/हुडको में प्रस्तुत कराने एवं सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों को स्वीकृत ऋण का अनुपातिक भाग दिये जाने हेतु समन्वय का दायित्व निदेशक, आवास बन्धु का होगा।

3— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया **'हुडको'** से ऋण प्राप्त करने हेतु उक्त निर्देशों का प्राथमिकता पर अनुपालन करते हुए आवेदन पत्र तुरन्त तैयार करना सुनिश्चित करायें।

सलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
सचिव

संख्या 1527 (1)/ आठ–2–11,तददिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोयडा/ग्रेटर नोयडा, विकास प्राधिकरण, जनपद—गौतमबुद्व नगर, उ0प्र0।
2. समस्तमण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. क्षेत्रीय प्रबन्धक, हुडको, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
5. निदेशक, आवास बन्धु, को आवश्यक कार्यवाही करने तथा इस शासनादेश को समस्त मण्डलायुक्तों/उपाध्यक्ष,समस्त विकास प्राधिकरणों/सी.ई.ओ., नोयडा/ग्रेटर नोयडा को **फैक्स/ई.मेल** से प्रेषित करने हेतु।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एच0पी0सिंह)
उप सचिव

मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण वाले जनपदों हेतु निर्धारित लक्ष्य का ग्रुपवार विवरण

क्र.स.	ग्रुप–1 (लखनऊ वि0प्रा0)		ग्रुप–2 (कानपुर वि0प्रा0)		ग्रुप–3 (गाजियाबाद वि0प्रा0)		ग्रुप–4 (इलाहाबाद वि0प्रा0)	
	प्राधिकरण का नाम	निर्धारित लक्ष्य	प्राधिकरण का नाम	निर्धारित लक्ष्य	प्राधिकरण का नाम	निर्धारित लक्ष्य	प्राधिकरण का नाम	निर्धारित लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	लखनऊ	2500	कानपुर नगर	2000	गाजियाबाद	1000	इलाहाबाद	1000
2.	रायबरेली	500	जालौन (उरई)	500	सहारनपुर	900	गोरखपुर	1500
3.	फैजाबाद	112	फिरोजाबाद	800	मथुरा–वृन्दावन	1500	मेरठ	1500
4.	झांसी	800	बांदा	1104	रामपुर	800	–	–
5.	गौतमबुद्धनगर	500	बरेली	1008	मुजफ्फरनगर	596	–	–
6.	मुरादाबाद	1608	अलीगढ़	800	बुलन्दशहर	500	–	–
7.	उन्नाव	260	–	–	–	–	–	–
योग :		6280 नग		6212 नग		5296 नग		4000 नग
महायोग :		6280+6212+5296+4000=21788 नग						

महत्वपूर्ण

संख्या– 422/आठ–2–11–74मा.का.यो./11

प्रेषक,

आलोक कुमार
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 06 मई, 2011

विषय–मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) के कियान्वयन हेतु संशोधित विस्तृत नीति एवं दिशा–निर्देशों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) के कियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या–972/आठ–2–11–247सा./08 टी.सी.–1 दिनांक 09–4–2011 द्वारा संशोधित विस्तृत नीति एवं दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त शासनासदेश के प्रस्तर–7 में यह व्यवस्था की गयी है कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा नगर निगम क्षेत्र में भूतल+3 मंजिल, नगर पालिका क्षेत्र में भूतल+2 मंजिल तथा टाउन एरिया/नगर पंचायत क्षेत्र में भूतल+1 मंजिल भवनों का निर्माण किया जायेगा। इस सम्बन्ध में कतिपय जनपदों द्वारा कम भूमि की उपलब्धता के दृष्टिगत नगर पालिका क्षेत्र में भूतल+3 मंजिल तथा टाउन एरिया/नगर पंचायत क्षेत्र में भूतल+2 मंजिल भवन निर्माण करने के लिए शासन से सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने स्तर पर यह परीक्षण कर लें कि यदि संबंधित जनपद में दिशा–निर्देशों के अनुरूप जी+1 एवं जी+2 भवन बनाने पर बिना ओवरहैड टैंक के जलापूर्ति सम्भव है

तो जी+1 या जी+2 (दिशा–निर्देशों में निर्दिष्टि व्यवस्थानुसार) का निर्माण किया जाय। यदि जी+1 या जी+2 के लिए भी ओवरहैड टैंक बनाना आवश्यक है और भूमि की उपलब्धता सीमित है, तो जी+3 मंजिल के भवनों का निर्माण करा लिया जाय। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(आलोक कुमार)
सचिव

संख्या– 422 ज्या०प्र० (1)/आठ–2–11– तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

2– निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की प्रति समस्त जिलाधिकारियों को **फैक्स/ई–मेल** से प्रेषित करते हुए इसे **विभागीय बेवसाइट** पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
उप सचिव।

संख्या– 1590 ./आठ–2–2011–75मा.का.यो./10

प्रेषक,

आलोक कुमार
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5– नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 20 जून, 2011

विषय– मा0 श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) के कार्यान्वयन हेतु जनपदवार लक्ष्य (संशोधित) का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के तृतीय चरण के जनपदवार लक्ष्य शासनादेश संख्या–1070/आठ–2–11–75मा.का.यो./10 दिनांक 15–4–2011 द्वारा निर्धारित किये गये थे। उक्त के अनुक्रम में 21 जनपदों में भूमि की सीमित उपलब्धता अथवा अधिक उपलब्धता के दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा भवनों के लक्ष्य संशोधित करने का अनुरोध किया है।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 21 जनपदों के भवनों के लक्ष्य संशोधित कर दिये गये हैं। उक्त 21 जनपदों के संशोधित लक्ष्य को समेकित करते हुए तृतीय चरण के जनपदवार भवन निर्माण के लक्ष्य की सूची संलग्न है। कृपया संशोधित लक्ष्य के अनुसार प्राथमिकता पर अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तारनुसार।

भवदीय

आलोक

(आलोक कुमार)
सचिव

संख्या– 1590 (1)/आठ–2–2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख स्टाफ आफिसर, मंत्रिमण्डलीय सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2– समस्त प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0शासन।
3– प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4– प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निमाण/ऊर्जा/बेसिक शिक्षा/समाज कल्याण/नगर विकास/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/परिवार कल्याण/पिछडा वर्ग कल्याण कल्याण/खाद्य एवं रसद/नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन/लघु उद्योग/महिला एवं बाल विकास/खादी ग्रामोद्योग/दुग्ध विकास/अल्प संख्यक कल्याण विभाग/कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– प्रमुख सचिव, वित्त/ नियोजन/सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन।
6– निदेशक स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
7– निदेशक, राज्य नगरीय अभिकरण (सूडा) लखनऊ।
8– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ।
9– निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट, लखनऊ।
10– मीडिया सलाहाकार, मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय (श्री जमील अख्तर)
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच0पी0सिंह)
उप सचिव

शासनादेश संख्या– 1590 /आठ–2–2011–75मा0का0यो0 / 10 दिनांक 20 जून, 2011 का संलग्नक–

कं	जनपद का नाम	शासनादेश संख्या–1017 / आठ–2–11–75मा.का.यो. / 10 दिनांक 15–4–2011 द्वारा जनपदवार निर्धारित भवनों का लक्ष्य	संशोधित लक्ष्य
1	2	3	4
1	सन्त रविदास नगर	500	**500**
2	मऊ	960	**960**
3	गोरखपुर	1500	**1500**
4	छत्रपति शाहू जी महाराज नगर	650	**650**
5	आजमगढ	700	**700**
6	अलीगढ	800	**1500**
7	गोण्डा	325	**324**
8	एटा	शून्य	**शून्य**
9	उन्नाव	260	**260**
10	सहारनपुर	900	**900**
11	फैजाबाद	112	**120**
12	कन्नौज	300	**300**
13	प्रतापगढ	शून्य	**शून्य**
14	मुरादाबाद	1608	**1500**
15	मेरठ	1500	**1500**
16	सुल्तानपुर	624	**500**
17	बदायूँ	372	**372**
18	जौनपुर	840	**688**
19	सोनभद्र	150	**150**
20	कौशाम्बी	150	**132**
21	वाराणसी	शून्य	**शून्य**
22	मथुरा	1500	**1500**
23	बरेली	1008	**1008**
24	गाजीपुर	500	**500**
25	रामपुर	800	**800**
26	शाहजहॉपुर	536	**536**
27	फर्रूखाबाद	710	**710**
28	बॉदा	1104	**1104**
29	इटावा	300	**300**
30	मुजफ्फर नगर	596	**596**
31	पीलीभीत	300	**300**
32	रायबरेली	500	**500**
33	कुशीनगर	600	**500**
34	महराजगंज	700	**700**
35	अम्बेडकर नगर	शून्य	**शून्य**
36	आगरा	शून्य	**शून्य**
37	इलाहाबाद	1000	**1000**

38	औरैया	492	**492**
39	कानपुर नगर	2000	**2000**
40	कांशीराम नगर	शून्य	**शून्य**
41	लखीमपुर खीरी	852	**850**
42	गाजियाबाद	1000	**1000**
43	गौतमबृद्व नगर	500	**500**
44	चन्दौली	500	**500**
45	चित्रकूट	500	**944**
46	जे0पी0नगर	600	**516**
47	जालौन	500	**500**
48	झॉसी	800	**968**
49	देवरिया	600	**600**
50	फतेहपुर	700	**700**
51	फिरोजाबाद	800	**800**
52	बलरामपुर	शून्य	**शून्य**
53	बुलन्दशहर	500	**500**
54	बलिया	500	**500**
55	बस्ती	360	**360**
56	बहराइच	शून्य	**शून्य**
57	बागपत	600	**शून्य**
58	बाराबंकी	1000	**1000**
59	बिजनौर	600	**600**
60	मैनपुरी	304	**304**
61	महामाया नगर	1000	**1000**
62	महोबा	480	**484**
63	मिर्जापुर	1000	**504**
64	रमाबाई नगर	500	**शून्य**
65	लखनऊ	2500	**1500**
66	ललितपुर	492	**500**
67	श्राबस्ती	शून्य	**शून्य**
68	संन्त कबीर नगर	500	**शून्य**
69	सिद्वार्थ नगर	500	**500**
70	सीतापुर	776	**452**
71	हमीरपुर	500	**500**
72	हरदाई	600	**800**
	योग	**44,961**	**42,484**

(एच0पी0सिंह)
उप सचिव

संख्या– 2220 /आठ–2–2011–01मा.का.यो./11

प्रेषक,

रवीन्द्र सिंह
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

क्षेत्रीय प्रमुख
हाउसिंग एण्ड अर्बन डवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (हुडको)
पिकप भवन, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 8 अगस्त, 2011

विषय– मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) के भवनों के निर्माण हेतु हुडको से ऋण प्राप्त करने के लिए हुडको के पक्ष में लेटर आफ कम्फर्ट के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में शासन द्वारा मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) के कियान्वयन हेतु ई.डब्लू.एस. श्रेणी के भवनों के निर्माण के लिए कुल लागत की 50 प्रतिशत धनराशि हुडको से दुर्बल आय वर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण लेने का निर्णय लिया गया है। योजना के तृतीय चरण में कुल 42484 भवन निर्मित किए जा रहे हैं। प्रति भवन लागत रू0 2.70 लाख है।

2– हुडको से ऋण प्राप्त करने के लिए उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ द्वारा अपने से संबंधित जनपदों में निर्मित होने वाले भवनों की कुल लागत का 50 प्रतिशत ऋण लेने के लिए हुडको में नियमानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

3– विकास प्राधिकरणों में योजनान्तर्गत निर्मित होने वाले भवनों के लिए लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरणों द्वारा स्वयं तथा

अपने ग्रुप के अन्य विकास प्राधिकरणों के लिए भवनों की कुल लागत की 50 प्रतिशत धनराशि ऋण लेने के लिए नियमानुसार हुडको में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

4— हुडको से प्रस्तावित ऋण की मूल धनराशि तथा ब्याज के भुगतान के लिए शासन द्वारा हुडको को शासकीय गारन्टी दी जायेगी तथा ऋण की मूल धनराशि एवं ब्याज के प्रतिदान हेतु प्रतिवर्ष आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा आवश्यक धनराशि का बजट में प्राविधान कराया जायेगा। उक्त धनराशि अनुदान के रूप में ऋणग्रहीता संस्थाओं—उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा उक्त चारों विकास प्राधिकरणों को उपलब्ध करायी जायेगी।

5— ब्याज की गणना उक्त ऋण की धनराशि हुडको से विकास प्राधिकरणों तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को प्राप्त होने की तिथि से की जायेगी।

6— ऋण की प्राप्ति तथा उसकी अदायगी में विलम्ब होने अथवा किसी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर हुडको तथा शासन द्वारा आपसी सहमति से निराकरण किया जायेगा।

7— यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(रवीन्द्र सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या–2222(1)/आठ–2–2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2– प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

3– प्रमुख स्टाफ आफिसर, मंत्रिमण्डलीय सचिव, उ0प्र0 शासन।

4– प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/समाज कल्याण/नगर विकास/लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

5– आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

6– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

7– निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट लखनऊ।

8– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–4/वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8

9– आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1

10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच0पी0सिंह)
उप सचिव।

संख्या– 713 /26–ब0प्र0–2011– 09सा/09

प्रेषक,

बी0बी0 सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सन्त रविदास नगर, मऊ, गोरखपुर, छत्रपति शाहूजी महराज नगर, आजमगढ, अलीगढ, गोण्डा, उन्नाव, सहारनपुर, फैजाबाद, कन्नौज, मुरादाबाद, मेरठ, सुल्तानपुर, बदायूँ, जौनपुर, सोनभद्र, कौशम्बी, मथुरा, बरेली, गाजीपुर, रामपुर, शाहजहॉपुर, फर्रूखाबाद, बॉदा, इटावा, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रायबरेली, कुशीनगर, महराजगंज, इलाहाबाद, औरैया, कानपुर नगर, लखीमपुर–खीरी, गाजियाबाद, गौतमबुद्व नगर, चन्दौली, चित्रकूट, जे0पी0नगर, जालौन, झॉसी, देवरिया, फतेहपुर, फिरोजाबाद, बुलन्दशहर, बलिया, बस्ती, बाराबंकी, बिजनौर, मैनपुरी, महामायानगर, महोबा, मिर्जापुर, लखनऊ, ललितपुर, सिद्वार्थनगर, सीतापुर, हमीरपुर एवं हरदोई उत्तर प्रदेश।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग — लखनऊ : दिनांक– 23 सितम्बर, 2011

विषय–मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) के निर्माणाधीन आवासों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2011–2012 में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में शासनादेश संख्या–413/26–ब0प्र0–2011–09सा0/09 दिनांक 25–4–2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) के भवनों के निर्माण के लिए द्वितीय किश्त के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2011–2012 के आय–व्ययक में बजट प्राविधानित अवशेष धनराशि में से **रू0 2,00,00,00,000/– (रूपये दो अरब मात्र)** की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार जनपदों को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा कोषागार से आहरित कर संबंधित कार्यदायी संस्था (उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरण) को एकमुश्त उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। उक्त धनराशि का प्रत्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(3) योजनान्तर्गत निर्मित किये जाने वाले आवासों की प्रति आवास अधिकतम लागत रू0 2,70,000/– (रूपये दो लाख सत्तर हजार मात्र) रखी गयी है, इसमें स्थल

के आन्तरिक विकास कार्यों की लागत भी सम्मिलित है। योजना के समयबद्व होने के कारण किसी प्रकार की मूल्यवृद्वि अनुमन्य नहीं होगी।

(4) स्वीकृत धनराशि बैंक, डाकघर, डिपाजिट खाते एवं पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग कार्यदायी संस्थाओं (उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा संबंधित विकास प्राधिकरण) द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2012 तक करके उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन तथा महालेखाकार को उपलबध कराया जायेगा।

(6) कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी तथा जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा कार्य समय से पूरा हो।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0/ टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशो के अनुरूप किया जायेगा।

(8) शासनादेश संख्या–5376/नौ–5–2008–153 सा0/2008, दिनांक–24 जुलाई, 2008 तथा शासनादेश संख्या–7931/नौ–5–2009–153 सा0/2008 टी.सी., दिनांक 04–12–2009, शासनादेश संख्या–972/आठ–2–2011–247सा0/08 टी.सी.–1 दिनांक 9–4–2011 एवं शासनादेश संख्या–1654/आठ–2–2011–247सा0/ 08 टी.सी.–1 दिनांक 10–6–2011 द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) योजनान्तर्गत निर्मित किये जाने वाले भवनों की सामग्री एवं निर्माण की गुणवत्ता सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–2012 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक **"4217–शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय (आयोजनागत)–60–अन्य शहरी विकास योजनायें, 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–03– मा0कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना, 35–पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"** के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–ई–3–1717/दस–2011, दिनांक– 22 सितम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(बी0बी सिंह)
संयुक्त सचिव ।

संख्या– 713 (1)/26–ब0प्र0–2011, तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– प्रमुख स्टाफ आफीसर, मंत्रिमण्डलीय सचिव, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/नगर विकास/कार्यक्रम कियान्वयन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5– समस्त प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
6– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
7– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोयडा विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्ध नगर।
8– **कोषाधिकारी**, जनपद– सन्त रविदास नगर, मऊ, गोरखपुर, छत्रपति शाहूजी महराज नगर, आजमगढ, अलीगढ, गोण्डा, उन्नाव, सहारनपुर, फैजाबाद, कन्नौज, मुरादाबाद, मेरठ, सुल्तानपुर, बदायूँ, जौनपुर, सोनभद्र, कौशम्बी, मथुरा, बरेली, गाजीपुर, रामपुर, शाहजहॉपुर, फर्रूखाबाद, बॉदा, इटावा, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रायबरेली, कुशीनगर, महराजगंज, इलाहाबाद, औरैया, कानपुरनगर, लखीमपुर–खीरी, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, चन्दौली, चित्रकूट, जे0पी0नगर, जालौन, झॉसी, देवरिया, फतेहपुर, फिरोजाबाद, बुलन्दशहर, बलिया, बस्ती, बाराबंकी, बिजनौर, मैनपुरी, महामायानगर, महोबा, मिर्जापुर, लखनऊ, ललितपुर, सिद्वार्थनगर, सीतापुर, हमीरपुर एवं हरदोई उत्तर प्रदेश।
9– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
10– आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
11– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
12– निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
13– निदेशक, राज्य नगरीय अभिकरण (सूडा) उ0प्र0, लखनऊ।
14– मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय (श्री जमील अख्तर)
15– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र, लखनऊ।
16– निदेशक, आवास बन्धु, जनपद मार्केट, लखनऊ ।
17– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2/वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3.
18– नियोजन अनुभाग–3 एवं 4 /आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 एवं 2
19– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शशि कमल गोस्वामी)
अनु सचिव ।

शासनादेश संख्या– 713 /26–ब0–प्र0–2011–09सा0/09 दिनांक 23 सितम्बर, 2011 का संलग्नक।

लागत रू0 करोड़ में

क्रं	जनपद का नाम	जनपदवार निर्धारित भवनों का लक्ष्य	रू0 2.70 लाख की दर से कुल लागत	द्वितीय किश्त के रूप में आवंटित धनराशि
1	2	3	4	5
1	सन्त रविदास नगर	500	13.50	3.00
2	मऊ	960	25.92	5.00
3	गोरखपुर	1500	40.50	5.00
4	छत्रपति शाहू जी महाराज नगर	650	17.55	3.00
5	आजमगढ	700	18.90	5.00
6	अलीगढ	1500	40.50	6.00
7	गोण्डा	324	8.748	2.00
8	एटा	शून्य	शून्य	शून्य
9	उन्नाव	260	7.02	2.00
10	सहारनपुर	900	24.30	4.00
11	फैजाबाद	128	3.456	2.00
12	कन्नौज	300	8.10	2.00
13	प्रतापगढ	शून्य	शून्य	शून्य
14	मुरादाबाद	1500	40.50	4.00
15	मेरठ	1500	40.50	4.00
16	सुल्तानपुर	500	13.50	2.00
17	बदायूँ	372	10.044	2.00
18	जौनपुर	688	18.576	4.00
19	सोनभद्र	150	4.05	1.00
20	कौशाम्बी	132	3.564	1.00
21	वाराणसी	शून्य	शून्य	शून्य
22	मथुरा	1500	40.50	6.00
23	बरेली	1008	27.216	5.00
24	गाजीपुर	500	13.50	2.00
25	रामपुर	800	21.60	5.00
26	शाहजहाँपुर	536	14.472	3.00
27	फर्रूखाबाद	710	19.17	5.00
28	बाँदा	1104	29.808	5.00
29	इटावा	300	8.10	1.00
30	मुज्जफ्फर नगर	596	16.092	3.00
31	पीलीभीत	300	8.10	1.50
32	रायबरेली	500	13.50	2.00
33	कुशीनगर	500	13.50	2.00
34	महराजगंज	700	18.90	4.00
35	अम्बेडकर नगर	शून्य	शून्य	शून्य
36	आगरा	शून्य	शून्य	शून्य

37	इलाहाबाद	500	13.50	3.00
38	औरैया	492	13.284	3.00
39	कानपुर नगर	2000	54.00	7.00
40	कांशीराम नगर	शून्य	शून्य	शून्य
41	लखीमपुर खीरी	850	22.95	4.00
42	गाजियाबाद	1000	27.00	5.00
43	ग्रेटर नोयडा (गौतमबुद्व नगर)	500	13.50	2.00
44	चन्दौली	500	13.50	2.00
45	चित्रकूट	944	25.488	5.00
46	जे0पी0नगर	516	13.932	4.00
47	जालौन	500	13.50	2.00
48	झॉसी	968	26.136	5.00
49	देवरिया	600	16.20	3.00
50	फतेहपुर	700	18.90	5.00
51	फिरोजाबाद	800	21.60	5.00
52	बलरामपुर	शून्य	शून्य	शून्य
53	बुलन्दशहर	500	13.50	2.00
54	बलिया	500	13.50	2.00
55	बस्ती	360	9.72	2.00
56	बहराइच	शून्य	शून्य	शून्य
57	बागपत	शून्य	शून्य	शून्य
58	बाराबंकी	1000	27.00	5.00
59	बिजनौर	600	16.20	2.00
60	मैनपुरी	304	8.208	2.00
61	महामाया नगर	1000	27.00	5.00
62	महोबा	484	13.068	2.00
63	मिर्जापुर	504	13.608	2.00
64	रमाबाई नगर	शून्य	शून्य	शून्य
65	लखनऊ	1500	40.50	6.00
66	ललितपुर	500	13.50	2.50
67	श्राबस्ती	शून्य	शून्य	शून्य
68	संन्त कबीर नगर	शून्य	शून्य	शून्य
69	सिद्वार्थ नगर	500	13.50	2.00
70	सीतापुर	452	12.204	2.00
71	हमीरपुर	500	13.50	2.00
72	हरदाई	800	21.60	5.00
	योग	41,992	1133.784	200.00

(कुल निर्गत धनराशि रूपये दो अरब मात्र)

(शशि कमल गोस्वामी)
अनुसचिव।

संख्या–2644/आठ–2–11–01 मा.का.यो./11

प्रेषक,

रवीन्द्र सिंह
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– **आवास आयुक्त,** उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2– **उपाध्यक्ष,** लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
3– **उपाध्यक्ष,** कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।
4– **उपाध्यक्ष,** गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
5– **उपाध्यक्ष,** इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक–** 13 **अक्टूबर, 2011**

विषय–मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) के भवनों के निर्माण हेतु कुल लागत की 50 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था के लिए हाउसिंग एण्ड अरबन डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (हुडको) से ऋण लिये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों में रहने वाले निर्धन व्यक्तियों की आवासीय समस्या के निराकरण हेतु उन्हें निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के तृतीय चरण में 41992 भवनों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तृतीय चरण के भवनों के निर्माण हेतु प्रति भवन रू0 2.70 लाख लागत निर्धारित की गयी है, जिसमें स्थल के आन्तरिक विकास कार्यों की लागत भी सम्मिलित है। योजना के तृतीय चरण के भवनों के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या–972/आठ –2–2011–247 सा0/ 08टी0सी0–1, दिनांक–09–4–2011 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के तृतीय चरण के भवनों के निर्माण हेतु वित्त पोषण के सम्बन्ध में शासन द्वारा लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में निम्न दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायः–

(1) योजना के तृतीय चरण में 41992 भवनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा लक्ष्य के अनुसार स्थल चयन कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। तृतीय चरण में निर्मित होने वाले भवनों में सुविधाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु भवनों की विशिष्टियों व अवस्थापना सुविधाओं के दृष्टिगत प्रति भवन लागत रू0 2.70 लाख निर्धारित की गयी है, जिसमें स्थल के आन्तरिक विकास कार्यों की लागत भी सम्मिलित है। इस प्रकार प्रति भवन निर्धारित लागत रू0 2.70 लाख की दर से तृतीय चरण के भवनों के निर्माण तथा स्थल विकास हेतु कुल रू0 1133.784 करोड़ की आवश्यकता है। कुल लागत की 50

प्रतिशत धनराशि रू0 566.892 करोड़ समाज कल्याण विभाग द्वारा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अपने बजट से उपलब्ध करायी जायेगी। शेष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 566.892 करोड निर्माण एजेन्सी—उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा अपने से संबंधित जनपदों में निर्मित होने वाले भवनों के निर्माण हेतु हुडको से ऋण लिया जायेगा। शासनादेश सख्या—1527(1)/आठ—2—11—10मा0को0यो0/11, दिनांक 03—6—2011 द्वारा समस्त विकास प्राधिकरणों को चार ग्रुपों में वर्गीकृत किया गया है। ऋण प्रार्थना पत्र नोडल विकास प्राधिकरणों द्वारा हुडको को प्रस्तुत किया जायेगा। नोडल विकास प्राधिकरणों— लखनऊ, कानपुर, इलाहबाद एवं गाजियाबाद द्वारा अपने तथा अपने ग्रुप के विकास प्राधिकरणों के लिए ऋण लिया जायेगा। ऋण (मूलधन एवं ब्याज) का प्रतिदान हुडको को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा नोडल विकास प्राधिकरणों द्वारा ही किया जायेगा।

(2) उक्त ऋण एवं ब्याज के प्रतिदान के लिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा वार्षिक आवश्यकता के अनुसार बजट में धनराशि का प्राविधान कराया जायेगा। प्राविधानित धनराशि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा नोडल विकास प्राधिकरणों (लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद एवं गाजियाबाद) को मूलधन एवं ब्याज के भुगतान के लिए अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) प्रस्तावित ऋण हुडको से प्राप्त करने के लिए उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नोडल विकास प्राधिकरण—लखनऊ कानपुर,इलाहाबाद एवं गाजियाबाद द्वारा अपने तथा अपने ग्रुप के विकास प्राधिकरणों के लिए आवश्यक ऋण के लिए हुडको से ऋण अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा।

(4) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नोडल विकास प्राधिकरणों—लखनऊ कानपुर, इलाहाबाद एवं गाजियाबाद द्वारा हुडको से लिये जाने वाले ऋण के लिए राज्य सरकार की ओर से शासकीय गारन्टी दी जायेगी। वित्त विभाग के परामर्श से हुडको के पक्ष में शासकीय गारन्टी का एग्रीमेन्ट निष्पादित किया जायेगा। वित्त विभाग की सहमति से हुडको के पक्ष में लेटर आफ कम्फर्ट दिनांक—08—08—2011 को निर्गत किया गया है।

(5) यह ऋण हुडको द्वारा निम्न आय वर्ग (ई0डब्लू0एस0 श्रेणी) के लाभार्थियों के लिए अद्यतन निर्धारित फिक्स्ड ब्याज दर पर 05 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जायेगा।

(6) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा नोडल विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्मित होने वाले भवनों के लिए आवश्यकता की सीमा तक ही हुडको से ऋण प्राप्त किया जायेगा।

(7) प्राप्त किये गये ऋण पर ब्याज की गणना ऋण की धनराशि प्राप्त होने की तिथि से आगणित की जायेगी।

(8) ऋण/ब्याज की अदायगी के सम्बन्ध में विलम्ब होने आदि के कारण यदि कोई विवाद होता है, तो उसका समाधान दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति से किया जायेगा।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन करते हुए शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पंजी संख्या बी–4/133/दस–11 दिनांक: 7–10–2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रवीन्द्र सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 2644 (1) /आठ–2–2011– तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– **प्रमुख स्टाफ आफीसर**, मंत्रिमण्डलीय सचिव, उ0प्र0 शासन।
2– **प्रमुख स्टाफ आफीसर**, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3– **प्रमुख सचिव**, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– **प्रमुख सचिव**, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– **प्रमुख सचिव**, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–4, वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3 एवं 8.
7– गोपन अनुभाग–1
8– क्षेत्रीय प्रमुख, हुडको, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
उप सचिव।

अनुलग्नक-6

ख्या–1088/आठ–2–2012–247सा0/08टी0सी0–1

प्रेषक,

शम्भू नाथ शुक्ल
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 28 मई, 2012

विषय– मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों में रहने वाले निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने के लिए शासनादेश संख्या–4328/9–5–08–153सा0/08 दिनांक 02, जून, 2008, द्वारा मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना आरम्भ की गयी थी। योजना की विस्तृत गाइड लाइन्स शासनादेश संख्या–5376/9–5–08–153सा/08 दिनांक 24 जुलाई, 2008, शासनादेश संख्या–7931/9–5–09–247सा0/08 टी.सी. दिनांक 04 दिसम्बर, 2009 शासनादेश संख्या–972/आठ–2–11–247सा/08 टी.सी. दिनांक 9–4–2011 तथा शासनादेश संख्या–1139/आठ–2–11–3एच0 बी0(25)/11 दिनांक 16–4–2011 द्वारा निर्गत की गयी थी। योजना के प्रथम चरण के आवासीय परिसरों के अतिरिक्त आन्तरिक विकास कार्यों एवं द्वितीय चरण के भवनों के निर्माण तथा पेय जलापूर्ति के लिए अवर जलाशय के निर्माण एवं तत्सम्बन्धी कार्यों हेतु आवश्यकता की समस्त धनराशि निर्गत की जा चुकी है।

2– योजना के तृतीय चरण में 41992 भवनों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। परन्तु कतिपय जनपदों में निःशुल्क उपयुक्त भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण 13728 भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।

3– चूँकि भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित बी.एस.यू.पी. एवं आई.एच.एस.डी.पी. आवासीय योजनायें संचालित की जा रही है, जो इस योजना के समानान्तर हैं, जिसके दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त योजना के तृतीय चरण में निर्माणाधीन भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में निम्नवत् शर्तों के अधीन

योजना को समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

(1) योजना के तृतीय चरण में केवल उन्हीं 26597 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जायेगा, जिनकी भौतिक प्रगति प्लिन्थ लेबिल से ऊपर है। इन भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराने के उपरान्त योजना को समाप्त किया जाता है।

(2) योजना के तृतीय चरण में प्लिन्थ लेबिल से नीचे भौतिक प्रगति वाले 1667 भवनों का निर्माण नही किया जायेगा तथा कार्य अनारम्भ 13728 भवनों का निर्माण कार्य अब प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

(शम्भू नाथ शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

संख्या—1088(1)/आठ—2—2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2— प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3— प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ऊर्जा/बेसिक शिक्षा/समाज कल्याण/नगर विकास/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/परिवार कल्याण/खादय एवं रसद/नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन/महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4— प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/सूचना विभाग,उ0प्र0शासन।
5— महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6— निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) लखनऊ।
7— मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 लखनऊ ।
8— निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट लखनऊ।
9— निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
10— आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अनुभाग।
11— गोपन अनुभाग—1
12— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय दीप सिंह)
विशेष सचिव।

(15)

संख्या– 67 /आठ–2–14–11मा.का.यो./13

प्रेषक,

सदा कान्त
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ

2– उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक–27 जनवरी, 2014

विषय– मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना विगत वर्ष 2008 में प्रारम्भ की गयी थी। इस हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद व प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों को कार्यदायी संस्था नियुक्त किया गया था। तदकम में प्रथम चरण व द्वितीय चरण के भवनों का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण किया जा चुका है तथा वर्तमान में तृतीय चरण के अन्तर्गत कार्य समापन की ओर है।

2– अवगत हैं कि आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–1088/आठ–2–2012–247सा0/08 टी0सी0–1 दिनांक 28 मई, 2012 द्वारा मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना को समाप्त किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण व तृतीय चरण के अन्तर्गत जो भी आंशिक कार्य अवशेष रह गये हैं उन्हें आगामी दिनांक 15 फरवरी, 2014 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराकर दिनांक 16 फरवरी, 2014 को शासन/आवास–बन्धु को अनुपालन आख्या प्रेषित करें तथा मद में अप्रयुक्त अवशेष रह गयी धनराशि को तत्काल कोषागार में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

4– अतएव इस सम्बन्ध में सभी अभिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 16 फरवरी, 2014 को इस आशय का प्रमाण पत्र, शासन/आवास बन्धु को प्रेषित किया जाना

सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास, इस मद में अब कोई शासकीय धनराशि अवशेष नहीं रह गयी है।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

सदा कान्त
प्रमुख सचिव।

संख्या– 67(1)/ आठ–2–14, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उक्त आदेशों के अनुपालनार्थ प्रेषित।

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– निदेशक, आवास बन्धु को इस निर्देश के साथ कि उक्त शासनादेश को आवास विभाग के बेवसाइट पर अपलोड कराते हुए समस्त संबंधितों को ई.मेल/फैक्स के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा संकलित अनुपालन आख्या शासन को दिनांक 16 फरवरी, 2014 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4– आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर)
संयुक्त सचिव

/ |\

संख्या– 67 /आठ–2–14–11मा.का.यो./13

प्रेषक,

सदा कान्त
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3– उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक– 12 फरवरी, 2014

विषय–मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में अप्रयुक्त धनराशि की वापसी के सम्बन्ध में।

महोदय

उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या–1088/आठ–2–2012–247 सा0/08 टी0सी0–1 दिनांक 28 मई, 2012 एवं शासनादेश संख्या–67/आठ–2–14–11मा.का.यो./13 दिनांक 27.01.2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त निर्गत शासनादेशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही पूर्ण कर मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण, द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण में विभिन्न अभिकरणों/जनपदों के पी.एल.ए./बैंक खाते में अप्रयुक्त/अवशेष धनराशि की वापसी निम्नलिखित लेखाशीर्षक में किया जायः–

"0217–शहरी विकास–60 अन्य शहरी विकास योजनाएं–800–अन्य प्रतियाँ–01प्रकीर्ण प्राप्तियाँ"

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन/निदेशक, आवास बन्धु को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
12/2
(सदा कान्त)
प्रमुख सचिव।

K.R.Yojana-HHCL(62)G.O

संख्या– 67 (1)/ आठ–2–14, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, वित्त/समाज कल्याण/नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3– समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4– निदेशक, आवास बन्धु को इस निर्देश के साथ कि उक्त शासनादेश को आवास विभाग के बेवसाइट पर अपलोड कराते हुए समस्त संबंधितों को ई.मेल/फैक्स के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करें।

5– आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1

6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर)
संयुक्त सचिव

संख्या–260 /आठ–2–14–15मा.का.यो./12

प्रेषक,

मो0 अकरम
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।

2– समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

3– उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक–10 मार्च, 2014

विषय–मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत अवशेष/अप्रयुक्त धनराशि कोषागार में जमा कराने के सम्बन्ध में।

महोदय

मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना को समाप्त किये जाने का निर्णय शासनादेश संख्या–1088/आठ–2–2012–247सा0/08 टी0सी0–1 दिनांक 28 मई, 2012 द्वारा लिया जा चुका है। प्रथम चरण व द्वितीय चरण के भवनों का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण किया जा चुका है तथा वर्तमान में तृतीय चरण के अन्तर्गत आंशिक निर्माण कार्य अवशेष है। तृतीय चरण के जो कार्य अवशेष रह गये हैं, उन्हें दिनांक 15 फरवरी, 2014 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराकर दिनांक 16 फरवरी, 2014 को शासन/आवास बन्धु को अनुपालन आख्या प्रेषित करने हेतु आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–67/आठ–2–14–11मा0का0यो0/13 दिनांक 27–1–2014 को निर्देश निर्गत किये गये थे तथा समसंख्यक शासनादेश दिनांक 12–2–2014 द्वारा लेखा–शीर्षक से अवगत कराते हुए प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरण के अन्तर्गत इस मद में अप्रयुक्त अवशेष रह गयी धनराशि को तत्काल कोषागार में जमा कराये जाने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु कतिपय अभिकरणों द्वारा निर्धारित समय–सीमा को बढाये जाने की मॉग की गयी है, जो सर्वथा अनुचित है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 31 मार्च, 2014 तक शासनादेश दिनांक 12 फरवरी, 2014 में वर्णित लेखा–

शीर्षक मद में अवशेष धनराशि जमा कराते हुए, उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा इस आशय का प्रमाण पत्र कि अब इस मद में कोई शासकीय धनराशि अवशेष नहीं बची है, जो धनराशि अवेशष थी, उसे शासनादेश में उल्लिखित लेखा–शीर्षक में जमा करा दिया गया है, मय ट्रेजरी में जमा किये गये ट्रेजरी चालान/रसीद की प्रति आवास–बन्धु को उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

कृपया उक्त कार्यवाही दिनांक 31–3–2014 तक अवश्य पूर्ण कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

मो0 अकरम 20-3-2014

(मो0 अकरम)
विशेष सचिव।

संख्या–360 (1)/ आठ–2–14, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उक्त आदेशों के अनुपालनार्थ प्रेषित।

1– निदेशक, आवास बन्धु को इस निर्देश के साथ कि उक्त पत्र को समस्त संबंधितों को ई.मेल/फैक्स के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आवास आयुक्त, प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों से समन्वय स्थापित करते हुए उक्त कार्यवाही दिनांक 31–3–2014 तक पूर्ण कराने का कष्ट करें।

2– आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1

3– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

/

(प्रेम शंकर)
संयुक्त सचिव

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्याः आठ–2–14–11मा.का.यो. / 13
1726

प्रेषक,

सदा कान्त,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
   लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
3. **जिलाधिकारी / उपाध्यक्ष,**
   मुजफ्फरनगर तथा रामपुर विकास प्राधिकरण।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊ; दिनांक 23 जुलाई, 2014

विषयः मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के समापन के फलस्वरूप 'अवशेष धनराशि कोषागार में जमा कराने' विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–67 / आठ–2–14–11मा.का.यो. / 13 दिनांक 27 जनवरी, 2014, शासनादेश संख्या–67 / आठ–2–14–11मा.का.यो. / 13 दिनांक 12 फरवरी, 2014 तथा शासनादेश संख्या–268 / आठ–2–14–15मा0का0यो0 / 12 दिनांक 20 मार्च, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के समापन के फलस्वरूप 'अवशेष धनराशि कोषागार में समर्पित कराते हुए', 'ट्रेजरी चालान / रसीद' की छायाप्रति के साथ इस आशय का प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे कि, अब इस 'योजना मद' में कोई शासकीय धनराशि अवशेष नहीं बची है; परन्तु आपके अभिकरण द्वारा शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही नहीं की गयी है, यह स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक है। उपलब्ध सूचना के अनुसार दि0–01.07.2014 को उक्त योजनान्तर्गत निम्नवत् धनराशि अवशेष है:–

क्र0सं0	**अभिकरण का नाम**		**अवशेष धनराशि (लाख रुपये में)**
1.	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्	–	11724.81
2.	रामपुर विकास प्राधिकरण	–	1670.32
3.	मुजफ्फर नगर विकास प्राधिकरण	–	197.00
4.	लखनऊ विकास प्राधिकरण	–	3.70

2– अतः उक्त शासनादेशों के अनुपालन में योजनान्तर्गत अवशेष धनराशि अनिवार्य रूप से, **आगामी दिनांक 31 जुलाई, 2014 तक कोषागार** में समर्पित कराते हुए, 'ट्रेजरी चालान / रसीद' की छायाप्रति एवं इस 'योजना मद' में कोई शासकीय धनराशि अवशेष नहीं होने, से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र शासन एवं 'आवास–बन्धु', उ0प्र0 को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(सदा कान्त)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव :–

प्रतिलिपि निदेशक, 'आवास–बन्धु' उ0प्र0 को तद्नुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(शिव जनम चौधरी)
संयुक्त सचिव

ई–मेल/शीर्ष प्राथमिकता

संख्या– 428 /आठ–2–2017–247सा0/08टी0सी0–1

प्रेषक,

पनधारी यादव,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 10 अप्रैल 2017

विषय– मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत अधूरे आवासों को पूर्ण कराकर पात्र लाभार्थियों को आवंटित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों में रहने वाले निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने के लिए शासनादेश संख्या–4328/9–5–08–153सा0/08 दिनांक 02, जून, 2008, द्वारा मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना आरम्भ की गयी थी। योजना की विस्तृत गाइड लाइन्स शासनादेश संख्या–5376/9–5–08–153सा/08 दिनांक 24 जुलाई, 2008, शासनादेश संख्या–7931/9–5–09–247सा0/08 टी.सी. दिनांक 04 दिसम्बर, 2009 शासनादेश संख्या–972/आठ–2–11–247सा/08टी.सी. दिनांक 9–4–2011 तथाशासनादेश संख्या–1139/आठ–2–11–3एच0बी0(25)/11 दिनांक 16–4–2011 द्वारा निर्गत की गयी थी। योजना के प्रथम चरण के आवासीय परिसरों के अतिरिक्त आन्तरिक विकास कार्यों एवं द्वितीय चरण के भवनों के निर्माण तथा पेय जलापूर्ति के लिए अवर जलाशय के निर्माण एवं तत्सम्बन्धी कार्यों हेतु आवश्यकता की समस्त धनराशि निर्गत की जा चुकी है। किन्तु प्राप्त सूचना के अनुसार जनपदों में काफी संख्या में अधूरे/अर्धनिर्मित आवास हैं।

2– उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–1088/आठ–2–2012–247सा0/08टी0सी0–1 दिनांक 28, मई, 2012 के द्वारा सम्यक विचारोपरान्त तृतीय चरण के अन्तर्गत निर्माणाधीन भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन योजना को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। जैसा कि वर्तमान में कतिपय जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार अभी भी काफी संख्या में योजनान्तर्गत आवास अधूरे/ अर्धनिर्मित अवस्था में हैं, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं हो पा रही है।

3– अतएव प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त योजनान्तर्गत जिन जनपदों में धनराशि उपलब्ध हैं वहॉ उपलब्ध धनराशि से अधूरे कार्यों को पूर्ण करायें, जहॉ धनराशि उपलब्ध नहीं है अथवा कम है, वहॉ शासनादेश संख्या–972/आठ–2– 2011–247सा0/08 टी0सी0–1 दिनांक

09–04–2011 के प्रस्तर–9 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार नगरीय निकाय के साथ–साथ विकास प्राधिकरणों तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को प्राप्त होने वाली स्टाम्प ड्यूटी की 02 प्रतिशत की धनराशि से अधूरे कार्यों को पूर्ण कराकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर पात्र लाभार्थियों को एक माह के अन्दर आवास आवंटित कराकर शासन/निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट, हजरतगंज, लखनऊ को फैक्स/ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पनधारी यादव)
सचिव।

संख्या– (1)/आठ–2–2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– स्टाफ आफिसर/विशेष सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3– **प्रमुख सचिव/सचिव**, लोक निर्माण/ऊर्जा/बेसिक शिक्षा/समाज कल्याण/नगर विकास/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/परिवार कल्याण/खाद्य एवं रसद/नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन/महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/सूचना विभाग,उ 0प्र0शासन।
5– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6– आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
8– नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
9– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
10– निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) लखनऊ।
11– निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
12– **निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट लखनऊ** को उक्त पत्र की प्रति इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे सभी सम्बन्धित को फैक्स/ई–मेल के माध्यम से भेजने का कष्ट करें तथा जनपदों से प्राप्त सूचना को संकलित कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0एल0मौर्य)
अनु सचिव।